संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–2, प्रथम एवं द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर–492002

E mail ID : diagricg.cg@nic.in Phone No. 0771-2511630

ज्ञापन क्रमांक / स्था. / अ–1–ब(1) / सी.भ.–05–2023 / 596 रायपुर दिनांक 18/09/2024

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन का शुद्धि पत्र

संचालनालय कृषि द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के कुल 305 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्र. / स्था. / अ–1–ब(1) / सी.भ.–05–2023 / 700 दिनांक 27.09.2023 जारी कर छ.ग. व्यवसायिक परीक्षण मंडल रायपुर के माध्यम से परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परिणाम छ.ग. व्यवसायिक परीक्षण मंडल रायपुर द्वारा माह मार्च 2024 में घोषित किया जा चुका है।

2. इसी अनुक्रम में छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के पत्र कमांक एफ–03–08 / 2024 / 14–1 दिनांक 17.09.2024 के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 305 पदों के स्थान पर 321 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त 321 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति व्यापम द्वारा मार्च 2024 में घोषित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के परीक्षा परिणामों में से वरीयता सूची के आधार पर वर्गवार रिक्तियों के अनुसार किए जाने तथा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 27.09.2023 का शुद्धिपत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

3. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 305 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विापन दिनांक 27.09.2023 के अनुकम में छ.ग. व्यवसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन के "महत्वपूर्ण टीप" के बिन्दु क्रमांक–1 अनुसार "पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है" तथा विस्तृत विज्ञापन के बिन्दु क्रमांक–4(2) अनुसार "राज्य में सीधी भर्ती के पदो के लिये लागू महिला आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण एवं दिव्यांगजनों के लिये आरक्षण के संबंध में जारी किये गये नियम / निर्देश लागू होंगे" उल्लेखित है।

4. उपरोक्तानुसार विस्तृत विज्ञापन में उल्लेखित बिन्दुओं तथा छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के पत्र कमांक एफ–03–08 / 2024 / 14–1 दिनांक 17.09.2024 के आधार पर छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के परिपत्र क्र. एफ 13–4 / 2015 / आ.प्र. / 1–3 दिनांक 24.02.2015 एवं छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के परिपत्र क्र. एफ 13–2 / 2014 / आ.प्र. / 1–3 दिनांक 14.07.2017 तथा भूतपूर्व सैनिकों हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण नियमों का पालन करते हुए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 27.09.2023 एवं छ.ग. व्यवसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन की कंडिका (रिक्त पदों का विवरण) में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के समक्ष अंकित पदों की संख्या में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

पद का नाम		(अ) कुल पद श्रेणीवार					(ब) कॉलम (अ) में दर्शाये गये रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या 30%					(स) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल पदों में से दिव्यांग श्रेणी के लिए 7%	(द) दिव्यांग श्रेणी के लिये बैकलॉग के पद	(इ) कॉलम (अ) में दर्शाये गये रिक्त सैनिकों के लिये 10%					महायोग
		UR	SC	ST	OBC	योग	UR	SC	ST	OBC	योग			UR	SC	ST	OBC	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	प्रथम विज्ञापित पद	113	32	87	38	270	33	9	26	11	79	19	0	11	3	8	3	25	270
	बैकलॉग पद	0	0	8	1	09	0	0	2	0	2	0	42	0	0	0	0	0	51
	योग	113	32	95	39	279	33	9	28	11	81	19	42	11	3	8	3	25	321

5. विज्ञापन क्र. / स्था. / अ–1–ब(1) / सी.भ.–05–2023 / 700 दिनांक 27.09.2023 एवं छ.ग. व्यवसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन की शेष समस्त शर्तें / कंडिकायें यथावत रहेगी।

अपर संचालक कृषि
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर